



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A3-19/2012

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नेनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड

देहरादून: दिनांक / २ अक्टूबर, 2021

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: 2142/के०यू०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 14.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानन्द (प्रा०) कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम किशनपुर, गौलापार, हल्द्वानी को बी०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है:-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	स्वामी विवेकानन्द (प्रा०) कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्राम किशनपुर, गौलापार, हल्द्वानी (नेनीताल)	बी०एड०	100 सीट	सत्र 2020-21

- 1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।
- 2- विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद अपनी आवश्यकता एवं विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी।
- 3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय तारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2094 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-19/2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, स्वामी विवेकानन्द (प्रा०) कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, किशनपुर, हल्द्वानी।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
(एन०के० पोखरियाल)
कुलाधिपति के उपसचिव।